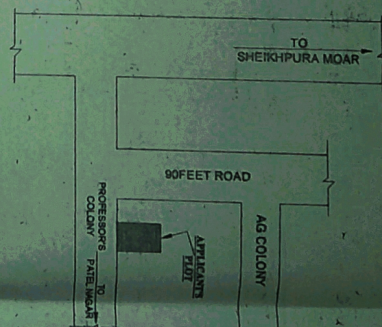
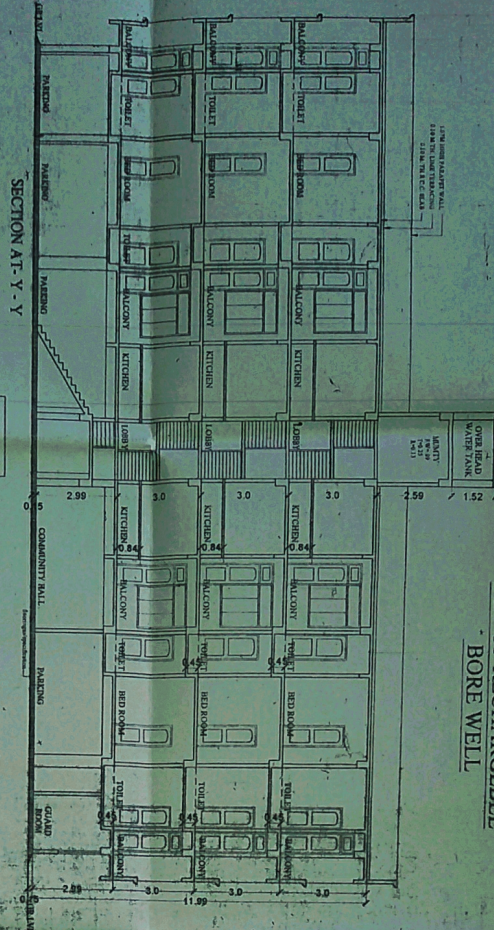


SECTION AT-A A

DET OF RECHARGEABLE
BORE WELL



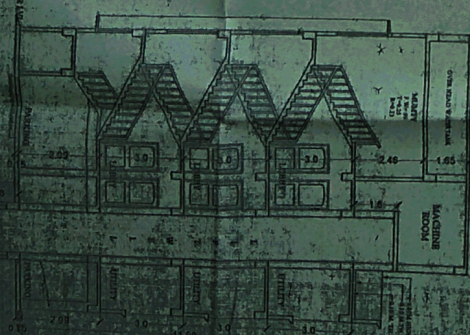
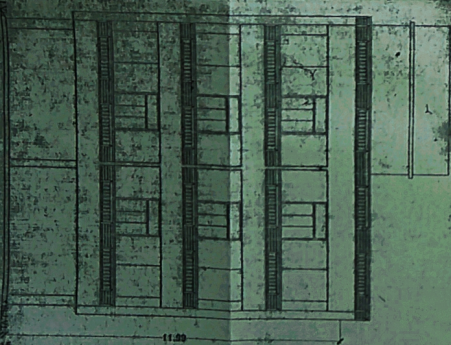
LOCATION PLAN



SECTION AT-Y-Y



SOUTH SIDE ELEVATION





पटना नगर निगम

मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल्ला, पटना-800001

पत्र संख्या- 2397 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार,

मुस्कान कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0,

जी-70, पी.सी. कॉलोनी,

कंकड़बाग, पटना

पटना, दिनांक- 08/03/2016 ई0।

विषय:- प्लान केस सं०-P/Shekhpura/PRN/G+3/66/2015 की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

आपके आवेदन सं०-P/Shekhpura/PRN/G+3/66/2015 दिनांक-28.12.2015 के संदर्भ में श्री राजेश कुमार, पिता-श्री अर्जुन प्रसाद सिन्हा, के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट सं०-323, खाता सं०-402, तौजी सं०-5767, थाना-शास्त्रीनगर, थाना सं०-09, मौजा-शेखपुरा, शास्त्रीनगर, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार जं पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 298.13 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 15.15 मीटर से 15.30 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 0.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने को तुरन्त से तीन वर्षों को अवधि के लिए विधिवान्वय होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमति दी की गयी हो, के अधिकार, हक, हित को बाबत साक्ष्य नहीं माने जाएंगे।

(झ) योजना के अनुमोदन के पर्याप्त भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ को बाबत कोई विवाद होने पर विचार को अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द सम्झी जाएगी।

(ञ) पटना नगर निगम द्वारा निर्गत अग्रपंक्ति पत्र (N.O.C.) एवं लीज डीड के शर्तों को पूर्णतः अनुपालन करेंगे।

(ट) नक्का को स्वीकृति के क्रम में आवस्यक दस्तावेजों में अमीन का सात्यान प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। चूंकि निगम में संग्रति अमीन कार्यालय परास्थितित, प्रतिविपुक्त नहीं है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में बिजली अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए ध्विष्य में निगम को अमीन को सेवा उपलब्ध होने पर तर्कमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन को सात्यात की जाँच करने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अविधिमिता सामने जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्का स्वतः रद्द सम्झा जायेगा।

(ठ) भू-स्वाधिनता एवं नक्का को संबंधित सम्पत्ति दस्तावेजों/कारपजाल को सात्यात की विधिवेगारी आवेदक की है। ध्विष्य में हमने किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-जोर/अचटतुर्ग रचना माने जाने पर नक्का अव्यवृत्त किये जाने को साथ आवेदक को विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

निरन्तरतापत्र

उप निदेशिका

राज्यी योजना साक्षा,

पटना नगर निगम, पटना।

५५